

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड, जिला बाइमेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 122/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी उण्डू

मानाराम पुत्र लालाराम
जाति जाट निवारी शंखेताराम नगर।

“निर्णय”

दिनांक-24.10.2025


पत्रावली आज दमुकाम भिंयाड में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उण्डू ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.रा. ने मौजा शंखेताराम नगर के खसरा नं 54 रकबा 3.9659 हैक्टेयर किरम या अक्वल में से 0.8093 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुण 50 जुर्माना राशि रूपये 30/- पूर्णांक में अक्षरे तीस रूपये/- मात्र से आरंभित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और गू0370 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहाक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे। गू0 अभिलेख निरीक्षक को फरसल नीलागी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक नू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जाये।

निर्णय दिनांक 24.10.2025 को सरेआम सुनाया गया।


नायब तहसीलदार
भिंयाड तहसीलदार
भिंयाड तह.शिव जिला -बाइमेर

